MACT No. 2095/2024

Witness No. ....……**01**................. For ....**आवेदकगण**........................ Deposition taken

the ....**24 th**.....day of ……...**March 2026**.............Witness's apparent age....**27 Yrs.**....................

States On Affirmation.………..**शपथपूर्वक**..........my name is.....श्रीमती रम्हला अविनाशी.............

W/ of.......**श्री आकाश कुमार अविनाशी**........ Occupation…........गृहणी.............

Address.......**ग्राम अमरताल थाना अकलतरा जिला जांजगीर–चांपा (छ०ग०)**.........

टीप – साक्षी ने अपने साक्ष्य के समर्थन में अपना शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पेश किया है, जिसकी कंडिका 01 से 09 तक हैं।

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री प्रकाश साहू अधिवक्ता वास्ते– आवेदकगण

10. मैने अपने दावा आवेदन के समर्थन में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 294/2025 की सत्यापित प्रति पेश की हूं जिसमें अंतिम प्रतिवेदन प्र०पी० 1 है, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 2, अपराध विवरण फार्म प्र०पी० 3, संपत्ति जब्ती पत्रक प्र०पी० 4 एवं प्र०पी० 5, गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 6, मर्ग इंटीमेशन प्र०पी० 7, नक्शा पंचायतनामा प्र०पी० 8, शव परीक्षण के लिए आवेदन एवं रिपोर्ट प्र०पी० 9 प्रस्तुत की हूं । इसके अलावा दुर्घटना कारित वाहन का आर०सी०, चालक का ड्राईविंग लाईसेंस तथा बीमा पत्रक की छायाप्रति भी प्रस्तुत की हूं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एजाज एल्लाह अधिवक्ता वास्ते– अनावेदक क्र० 1

11. यह कहना गलत है कि दुर्घटना दिनांक को मैं अपने पति द्वारा चलाये जा रहे मोटरसायकल में 04 व्यक्ति सवार होकर जा रहे थे । जिस पिकअप वाहन से दुर्घटना हुआ था उसका नंबर CG–10BH–3491 था । यह कहना गलत है कि दुर्घटना के समय वाहन बोलेरो पिकअप क्रमांक CG–10BH–3491 सड़क किनारे अपनी साईड पर खड़ा था । यह कहना गलत है कि मेरे पति अपने द्वारा चालित मोटरसायकल को दुर्घटना कारित वाहन के पीछे ले जाकर ठोकर मारकर दुर्घटना कारित किया गया है ।

12. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा अपने पति का ड्राईविंग पेश नही किया गया है । यह कहना सही है कि मैने अपने पति के आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही की हूं । यह कहना गलत है कि दुर्घटना मेरे पति के लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने से हुई है ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री डी०एल० देवांगन अधिवक्ता वास्ते– अनावेदक क्र० 2</u>

13. दुर्घटना दिनांक को हम लोग अमरताल से पचपेड़ी की ओर जा रहे थे । यह कहना सही है कि मैने अपने पति के कार्य एवं आय के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नही की हूं । यह कहना गलत है कि मेरे पति कोई कार्य कर आय अर्जित नही करते थे इसलिए कोई दस्तोवज पेश नही की हूं । यह कहना गलत है कि मेरे पति के पास वाहन चलाने हेतु ड्राईविंग लाईसेंस नही था इसलिए प्रकरण में पेश नही की हूं । यह कहना सही है कि पुलिस द्वारा मेरे पति का ड्राईविंग लाईसेंस जब्त नही किया गया है। यह कहना गलत है कि मेरे पति के पास ड्राईविंग लाईसेंस नही था । स्वतः कही कि मेरे पति का ड्राईविंग लाईसेंस वर्तमान में घर पर है ।

14. वर्तमान में मेरी उम्र 29 वर्ष है । दुर्घटना दिनांक को मेरे पति की उम्र लगभग 30 वर्ष थी । यह कहना सही है कि मैंने अपने एवं अपने पति का आधार कार्ड प्रकरण में पेश नही की हूं । यह कहना गलत है कि मेरे पति के आधार कार्ड एवं ड्राईविंग लाईसेंस में उनकी उम्र लगभग 35 साल के आस–पास दर्शित हो रहा था, इसलिए उनका आधार कार्ड एवं लाईसेंस पेश नही की हूं । मेरा एवं मेरे पति आधार कार्ड वर्तमान में घर में है ।

15. यह कहना गलत है कि मेरे पति सामान्य रोजी–मजदूरी का कार्य कर 150–200/– रुपये प्रतिदिन आय अर्जित करते थे । घटना दोपहर 2.30 बजे की है । यह कहना गलत है कि मेरे पति दुर्घटना दिनांक को शराब का सेवन कर वाहन चला रहे थे एवं सामने रोड किनारे खड़ी वाहन से स्वयं टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे । यह कहना गलत है कि उक्त दुर्घटना में मात्र मेरे पति की लापरवाही थी । यह कहना गलत है कि मैं क्षतिपूर्ति पाने की लालसा से झूठा कथन कर रही हूं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री आर० एल० माथुर अधिवक्ता वास्ते– अनावेदक क्र० 3 एवं 4</u>

16. कुछ नहीं ।

साक्षी को कथन पढकर सुनाया गया ।
उसने सही होना स्वीकार किया ।

sirajuddin qureshi Digitally signed by sirajuddin qureshi

(सिराजुद्दीन कुरैशी)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बिलासपुर (छ०ग०)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया ।

sirajuddin qureshi Digitally signed by sirajuddin qureshi

(सिराजुद्दीन कुरैशी)
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
बिलासपुर (छ०ग०)

गवाह का हस्ताक्षर